


14.11.2025 अधिवक्तागण उपस्थित / साक्ष्य

वादी में पराग सुधीर चितले PW-01
के रूप में परीक्षित। वादीगण द्वारा
रूपने स्वतंत्र साक्ष्य के अधिकार सुरक्षित रखने
दिए साक्ष्य वादी पूर्ण होने के बाद कि
आने का निवेदन किया गया कि वादीगण
के निवेदन पर साक्ष्य वादी स्वतंत्र साक्ष्य
का अधिकार सुरक्षित रखते हुए बंद
प्रतिवादीगण के आगे पत्रावली साक्ष्य
प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 18.11.25
को निपट की जाती है।

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेरवादी (सीकर) राज.

14.11.25
पुनश्च


प्रतिवादी निवेदन द्वारा वादीगण में
साक्ष्य प्रेषण करने हेतु परामर्श अवकाश दिया
जा चुके होने के कारण साक्ष्य वादी हेतु
कोर अवकाश नहीं दिये जाने का आदेश
प्रेषण किया गया जिसे प्रतिवादी



अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेरवादी (सीकर) राज.

15000 10000 10000

Number of Case प्रकरण की संख्या C-0 129/2016 Year वर्ष 2016
डी. नरसिंह राव - रि. 1 Versus बनाम विनय कुमार

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>वादीगण को दिलावारी नहीं तथा वादीगण द्वारा आर्कीव - प्रक का जवाब पेश नहीं करते हुए भी कक्षा सुननी नहीं। अंतः उक्त - प्रक को सुन जाकर वादीगण द्वारा स्वयं अपनी कक्षा केंद्र किसे जाने का निर्देश किसे जाने से प्रजावनी साक्ष्य परिवारीगण हेतु निमत होने/ किसे जाने से दस्तावेज आर्कीव प्रक अनिमत कर स्वार्थि किसे जाता है। प्रजावनी साक्ष्य परिवारीगण हेतु दिनांक 15.11.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> अपर जिला न्यायाधीश फतेहपुर-शेखपुरा (सीकर) राज.</p>	3